सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2020/00191 दर्ज तिथिः–04.09.2020

1. हीराराम वल्द श्री अणदाराम
   जाति कलबी निवासी लक्ष्मीनगर, ग्रामपंचायत देवनगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.................वादी

बनाम

1. उका वल्द खेता
2. परबता वल्द वीरमा
3. वीरों पत्नी पत्नी
4. हीरा वल्द कचरा
5. सांवला वल्द कचरा
6. अनु देवी पत्नी अणदाराम फौत के कायम मुकाम वारिसान
   6/1 हीराराम पुत्र अणदाराम
7. गेना वल्द गोवा फौत के कायम मुकाम वारिसान
   7/1 हीराराम पुत्र गेनाराम
   7/2 थानाराम पुत्र गेनाराम
8. पदमाराम वल्द गोवाराम
9. काना वल्द धूडा
10. भीमा वल्द धूडा
11. गंगदा वल्द धूडा
12. नेथीराम वल्द वालाराम
13. बाबूराम वल्द वालाराम
14. गजाराम वल्द वालाराम
15. मांगा वल्द प्रागाराम फौत के कायम मुकाम वारिसान
    15/1 नेथीराम पुत्र मांगा
    15/2 शंकराराम पुत्र मांगा
    15/3 समदा पुत्र मांगा
16. डामराराम वल्द प्रागाराम
17. तुलसाराम वल्द प्रागाराम
18. पूनमाराम वल्द प्रागाराम
19. गेना वल्द गोवा
20. पदमा वल्द गोवा
21. अनिल चौधरी वल्द भावाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:00 IST
Reason: SelfAttested

22. भलाराम वल्द भावाराम
कौम कलबी साकिन लक्ष्मीनगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
..............असल प्रतिवादीगण

23. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा गुडामालानी
24. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी गुडामालानी
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एंव उपपंजीयक गुडामालानी
.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
श्री हरीश चौधरी
प्रतिवादीगणः— एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—02.06.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 921 / 13 बीघा, 1160 / 5 बीघा, 1161 / 0.05 बीघा, 1162 / 1.16 बीघा, 1163 / 66 बीघा वाके ग्राम लक्ष्मीनगर तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:00 IST
Reason: SelfAttested

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण के हाजिर न्यायालय नहीं होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् वादी अधिवक्ता की बहस पर दिनांक 16.08.2024 को प्रारम्भिक निर्णय व पर्चा डिक्री जारी किया गया। जिस पर भू–धारक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/757 दिनांक 16.05.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् प्रकरण में अभिभाषक वादी की बहस सुनी गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/757 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 25.04.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1078–1102 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 25.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस क्रमांक 1078–1102 दिनांक 02.04.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 25.04.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में वादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई। सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 921/13 बीघा, 1160/5 बीघा, 1161/0.05 बीघा, 1162/1.16 बीघा, 1163/66 बीघा वाके ग्राम लक्ष्मीनगर तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:00 IST
Reason: SelfAttested

तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा— ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार हैं एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 921／13 बीघा, 1160／5 बीघा, 1161／0.05 बीघा, 1162／1.16 बीघा, 1163／66

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:00 IST
Reason: SelfAttested

बीघा वाके ग्राम लक्ष्मीनगर तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
हीराराम पुत्र अणदाराम (फौत) कायम मुकाम वारिस 1. नरसीराम पुत्र हीराराम हि0 1/4 2. पंकूदेवी पुत्री हीराराम हि0 1/4 3. सीतादेवी पुत्री हीराराम हि0 1/4 4. धापूदेवी पत्नी हीराराम हि0 1/4 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	लक्ष्मीनगर	1160 1162 1163	0.5893 0.1112 1.0407	बा0सो0 गै0मु0 बाड़ा चा0दो0
कुल किता 03 रकबा 1.7412 है0				
अनिल चौधरी पुत्र भावाराम हि0 1451/60941 उका पुत्र खेता हि0 5804/60941 काना पुत्र धूड़ा हि0 2902/60941 गंगदा पुत्र धूड़ा हि0 2902/60941 ताजाराम पुत्र वालाराम हि0 2902/60941 नेथीराम पुत्र वालाराम हि0 2902/60941 बाबूराम पुत्र वालारााम हि0 2902/60941 गेनाराम पुत्र गोवाराम हि0 8705/121882 पदमाराम पुत्र गोवाराम हि0 8705/121882 डामराराम पुत्र प्रागाराम हि0 4353/121882 (रहन बीसीसीबी गुड़ामालानी) तुलसाराम पुत्र प्रागाराम हि0 4353/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी) पुनमाराम पुत्र प्रागाराम हि0 4353/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी) थानाराम पुत्र गेनाराम हि0 1451/60941 हीराराम पुत्र गेनाराम हि0 1451/60941 पदमा पुत्र गोवा हि0 2902/60941 नेथीराम पुत्र मांगाराम हि0 1451/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी) शंकराराम पुत्र मांगाराम हि0 1451/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी) समदा देवी पत्नी मांगाराम हि0 1451/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी)	लक्ष्मीनगर	1160 1161 1162 1163 921	0.2201 0.0405 0.1802 9.6430 2.1044	बा0सो0 गै.मु.बेरा गै.मु.बाड़ा चा0दो0 चा0दो0
कुल किता 04 रकबा 12.1882 है0				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:00 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2020/00191 दर्ज तिथिः—04.09.2020

1. हीराराम वल्द श्री अणदाराम
   जाति कलबी निवासी लक्ष्मीनगर, ग्रामपंचायत देवनगर तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

..................वादी

बनाम

1. उका वल्द खेता
2. परबता वल्द वीरमा
3. वीरों पत्नी पत्नी
4. हीरा वल्द कचरा
5. सांवला वल्द कचरा
6. अनु देवी पत्नी अणदाराम फौत के कायम मुकाम वारिसान
   6/1 हीराराम पुत्र अणदाराम
7. गेना वल्द गोवा फौत के कायम मुकाम वारिसान
   7/1 हीराराम पुत्र गेनाराम
   7/2 थानाराम पुत्र गेनाराम
8. पदमाराम वल्द गोवाराम
9. काना वल्द धूडा
10. भीमा वल्द धूडा
11. गंगदा वल्द धूडा
12. नेथीराम वल्द वालाराम
13. बाबूराम वल्द वालाराम
14. गजाराम वल्द वालाराम
15. मांगा वल्द प्रागाराम फौत के कायम मुकाम वारिसान
    15/1 नेथीराम पुत्र मांगा
    15/2 शंकराराम पुत्र मांगा
    15/3 समदा पुत्र मांगा
16. डामराराम वल्द प्रागाराम
17. तुलसाराम वल्द प्रागाराम
18. पूनमाराम वल्द प्रागाराम
19. गेना वल्द गोवा
20. पदमा वल्द गोवा
21. अनिल चौधरी वल्द भावाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:00 IST
Reason: SelfAttested

हीराराम बनाम उका व अन्य
2020/00191
निर्णय दिनांकः—02.06.2025

22. भलाराम वल्द भावाराम
कौम कलबी साकिन लक्ष्मीनगर तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
..............असल प्रतिवादीगण

23. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा गुडामालानी
24. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी गुडामालानी
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार एंव उपपंजीयक गुडामालानी
.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री चिमनसिंह चौधरी
श्री हरीश चौधरी
प्रतिवादीगणः— एक तरफा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्त0 अधिनियम—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजीखसरा संख्या 921/13 बीघा, 1160/5 बीघा, 1161/0.05 बीघा, 1162/1.16 बीघा, 1163/66 बीघा वाके ग्राम लक्ष्मीनगर तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वाद डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
हीराराम पुत्र अणदाराम (फौत) कायम मुकाम वारिस 1. नरसीराम पुत्र हीराराम हि0 1/4 2. पंकूदेवी पुत्री हीराराम हि0 1/4 3. सीतादेवी पुत्री हीराराम हि0 1/4 4. धापूदेवी पत्नी हीराराम हि0 1/4 जाति कलबी सा0 देह खातेदार	लक्ष्मीनगर	1160 1162 1163	0.5893 0.1112 1.0407	बा0सो0 गै0मु0 बाड़ा चा0दो0
कुल किता 03 रकबा 1.7412 है0				
अनिल चौधरी पुत्र भावाराम हि0 1451/60941 उका पुत्र खेता हि0 5804/60941 काना पुत्र धूड़ा हि0 2902/60941 गंगदा पुत्र धूड़ा हि0 2902/60941	लक्ष्मीनगर	1160 1161 1162 1163 921	0.2201 0.0405 0.1802 9.6430 2.1044	बा0सो0 गै.मु.बेरा गै.मु.बाड़ा चा0दो0 चा0दो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:00 IST
Reason: SelfAttested

ताजाराम पुत्र वालाराम हि0 2902/60941 नेथीराम पुत्र वालाराम हि0 2902/60941 बाबूराम पुत्र वालाराम हि0 2902/60941 गेनाराम पुत्र गोवाराम हि0 8705/121882 पदमाराम पुत्र गोवाराम हि0 8705/121882 डामराराम पुत्र प्रागाराम हि0 4353/121882 (रहन बीसीसीबी गुड़ामालानी) तुलसाराम पुत्र प्रागाराम हि0 4353/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी) पुनमाराम पुत्र प्रागाराम हि0 4353/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी) थानाराम पुत्र गेनाराम हि0 1451/60941 हीराराम पुत्र गेनाराम हि0 1451/60941 पदमा पुत्र गोवा हि0 2902/60941 नेथीराम पुत्र मांगाराम हि0 1451/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी) शंकराराम पुत्र मांगाराम हि0 1451/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी) समदा देवी पत्नी मांगाराम हि0 1451/121882 (रहन पूर्ण खाता बीसीसीबी गुड़ामालानी)				
कुल किता 04 रकबा 12.1882 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज पृथक खाता आराजी पर जबरन कब्जा व बेदखली न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 02.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.06.16 10:35:00 IST
Reason: SelfAttested